फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अरविन्द देवी बनाम राज0सरकार

किस्म मुकदमाः–251(क) आरटीए प्रकरण संख्याः–240/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री शिशपाल शर्मा ने प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया के नाम से चक 9 एम.सी. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 74 के खाता संख्या 9/8 के पत्थर संख्या 178/7 (31) के किला नं. 10 ता 12 में 0.759 हैक्टर, 16–17 में 0.506 हैक्टर, 19 ता 22 में 1.012 हैक्टर, 23 ता 25 में 0.759 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया रकबा को काश्त करने हेतु कोई सरकारी मंजूरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थीया अपने रकबा को काश्त करने के लिये पत्थर संख्या 178/15 के किला नं. 15, 17 ता 20 में से जैरकार रास्ता से जो आराजीराज रकबा में से होकर इसी पत्थर संख्या के किला नम्बर 15 में पक्का खाला पर बनी हुई पुली से किला संख्या 16–25 के पूर्वी पासा में इन्द्रा गांधी नहर मैन कनाल के पटड़ा पर चालु रास्ता जो अर्सा दराज से बना हुआ है, से आवागमन करते है व इसी रास्ता से प्रार्थीया श्रीविजयनगर से या पक्की सड़क से जुड़ कर अपनी फसल को मण्डल ले जाती है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही लगता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने की मेहरबानी फरमावें। प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता आराजीराज है। प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है एवं अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। तहसीलदार सूरतगढ़ ने पत्थर संख्या 178/15 के किला नं. 15–17 ता 20 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है। पत्रावली का अवलोकन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थीया के नाम से चक 9 एम.सी. की जमाबंदी सम्वत् 2074 ता 74 के खाता संख्या 9/8 के पत्थर संख्या 178/7 (31) के किला नं. 10 ता 12 में 0.759 हैक्टर, 16–17 में 0.506 हैक्टर, 19 ता 22 में 1.012 हैक्टर, 23 ता 25 में 0.759 हैक्टर कुल 3.036 हैक्टर कमाण्ड/अ0क0 भूमि खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सूरतगढ़ अनुसार प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता नही लगता है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर चक 9 एम.सी. के पत्थर संख्या 178/15 (30) के किला संख्या 17 ता 20 के उत्तरी पासा में 1–1 बिस्वा व किला नं. 16 के उत्तरी पासा कोने पर करीब 20 फुट तक लम्बाई में व किला नं. 15 के दक्षिणी पासा में बनी हुई पुली तक करीब आधा बीघा लम्बाई में व पुली पार करने के बाद पक्का खाला के दक्षिणी दिशा में किला नं. 16 में करीब आधा बीघा लम्बाई में इन्द्रा गांधी नहर के पटड़ा तक रास्ता स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत किये गये रास्ता की सरकारी 0.06318 हैक्टर बारानी भूमि की वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर से कीमत तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करायेगा। नियमानुसार राशि जमा होने के बाद स्वीकृत किये गये रास्ता का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार–सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़